परिपत्र संख्या- 38946/सामा-1(6)/म0ब0/2009(83)

प्रेषक,

उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश

दिनांकः 28 अगस्त, 2015

विषयः कारागारों में निरूद्ध महिला बंदियों को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या- 17110-76/म0बं0 दिनांक 29.06.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको यह अवगत कराया गया था कि शासनादेश संख्या- 23/22-4-06-48(27)/01 दिनांक 25.01.2006 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत कारागारों में निरूद्ध महिला बंदियों को विसंक्रमित कपड़े के स्थान पर सेनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराई जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया था कि इस पर होने वाले व्यय की धनराशि का वहन अनुदान संख्या- 25- लेखाशीर्षक-2056 जेले- आयोजनेत्तर-101-जेले-03 समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद-42 अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा। उक्त के साथ उपलब्ध करायी जाने वाली विषयांकित सामग्री की मात्रा भी निर्धारित की थी।

शासन की इस नीति को निरन्तर अनुश्रवण कर योजना में प्रगति लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश दिनांक 04.03.2014, 23.02.2015 एवं 16.06.2015 को आदेश निर्गत कर वर्णित व्यवस्था के अधीन आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। संदर्भित शासनादेशों में पंचायत उद्योग से आपूर्ति किये जाने का प्राविधान किया गया है। अपने जनपदों के संबंधित जिला पंचायत अधिकारी से संपर्क करते हुये उनके माध्यम से सेनेटरी नैपकिन की निर्धारित दरों पर आपूर्ति प्राप्त की जायेगी। पंचायत उद्योगों द्वारा आपूर्ति न किये जाने की दशा में ही स्थानीय बाजार से विषयांकित सामग्री का क्रय किया जायेगा।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

उक्त परिपत्र अपर पुलिस महानिदेशक कारागार/महानिरीक्षक कारागार के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है। उक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

28/8/15
(आर0पी0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश,

परिपत्र पृ0सं0

तददिनांक- अगस्त, 2015

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा ,सचिव, , मा0 मुख्यमंत्री जी उ0 प्र0 को निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के पत्र संख्या- 5/शा0/127/2015-5/196/2014 दिनांक 25.02.2015 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत, उ0प्र0 ।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(आर0पी0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश,